

आयुष्मान भारत "निरामयम्", मध्य प्रदेश

दीन दयाल स्वास्थ्य सुरक्षा परिषद्

आई.ई.सी. ब्यूरो प्रथम तल, जे.पी. अस्पताल परिसर, भोपाल मध्यप्रदेश

क्रमांक./ई.ओ./ए.बी./2018/92

भोपाल, दिनांक 23/10/2018


- :: आदेश ::-

आयुष्मान भारत "निरामयम्" म.प्र. के अंतर्गत सी.एम. हेल्पलाईन में प्राप्त शिकायतों में एल-1, एल-2, एल-3 (जो पूर्व से लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग म.प्र. में हेल्प लाईन अधिकारी है) एवं एल-4 लेवल पर प्राप्त शिकायतों के निराकरण हेतु निम्नानुसार अधिकारी अधिकृत किये जाते हैं :-

क्र.	सी.एम. हेल्पलाइन शिकायत लेवल	शिकायत निवारण अधिकारी
1	एल-1 लेवल	जो कि पूर्व से लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में से सी.एम. हेल्प लाईन शिकायत निवारण अधिकारी है।
2	एल-2 लेवल	
3	एल-3 लेवल	
4	एल-4 लेवल	कार्यपालन अधिकारी, (प्रशासन)आयुष्मान भारत "निरामयम्" म.प्र.

उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य द्वारा अनुमोदित


(रुही खान)

कार्यपालन अधिकारी

आयुष्मान भारत "निरामयम्" म.प्र.

भोपाल, दिनांक 23/10/2018

पृ. क्रमांक./ई.ओ./ए.बी./2018/93

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ।

1. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. आयुक्त, स्वास्थ्य संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें सतपुड़ा भवन भोपाल।
3. मिशन संचालक, एन.एच.एम., भोपाल।
4. संचालक, अस्पताल प्रशासन, स्वास्थ्य सेवायें सतपुड़ा भवन भोपाल।
5. कार्यपालन अधिकारी, आयुष्मान भारत "निरामयम्" म.प्र. भोपाल की ओर पालनार्थ।
6. संचालक, सी.एम. हेल्पलाइन केपीटल मॉल भोपाल की भेजकर लेख है कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।
7. समस्त क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें म.प्र. की ओर पालनार्थ।
8. समस्त मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी म.प्र. की ओर पालनार्थ।
9. समस्त सिविल सर्जन सह अधीक्षक म.प्र. की ओर पालनार्थ।
10. समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी म.प्र. की ओर पालनार्थ।



कार्यपालन अधिकारी

आयुष्मान भारत "निरामयम्" म.प्र.